MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

Name of work: - Repairing of Hand Pump with Material at Zone 05

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT
		AS PER ITEM RATE	
1	Replacement of old Handpump and Providing and placing in position India Mark II hand pump complete with all accessories (riser pipe and plunger rod to be paid separately).	8	Each
2	Construction of PCC plateform as per describe drawing & design with all required materials pertaining to it minimum 1.5 meter dia.	8	Each
	Providing & fixing of Hand Pump Material. Of ISI Mark Branded Company as per Specification		
3	जी.आई. पाईप 32 एम.एम.	500	Mtr.
4	हैण्ड पंप राड (कनेक्टींग रॉड 10फिट)	210	Nos.
5	सिलैण्डर सेट *(Made of Brass Metal as per Specification*	210	Nos.
6	पाईन्ट सेट (अपर वाल्व असेम्बली)	70	Nos.
7	लोवर सेट (लोवर वाल्व असेम्बली)	70	Nos.
8	बेयरिंग	100	Nos.
9	चैन	100	Nos.
10	हैण्ड पंप स्टेंड	20	Nos.
11	माउथ	20	Nos.
12	कर्न्वशन हेड	30	Nos.
13	हेण्डल सेट	30	Nos.
14	एक्सल	250	Nos.
15	लेदर ब्रकेट	500	Nos.
16	राड सॉकेट	200	Nos.
17	नटबोल्ट (2')	70.00	kg
18	जी.आई. निप्पल (32mm) - 6"	70	Nos.
19	जी.आई. रेड्यूसर (40X32mm)	70	Nos.
20	जी.आई. सॉकेट (32mm)	70	Nos.
21	Repairing of Hand Pump only Above Ground Level	315	Nos.
22	Repairing of Hand Pump Below Ground Level including Top maintance work complete.	700	Nos.
	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	5	Cum

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai(C.G.)

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जोन क्रमांक 05 अंतर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सामग्री सहित
//नियम एवं शर्ते//

1. हैण्ड पंपों के संधारण कार्य हेतु समस्त सामग्री एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से लगाई जावेगी। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।

2. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा हैण्ड पंप संधारण के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. सभी हैण्ड पंपों के संधारण कार्य की संधारण पंजी संधारित करना होगा। प्रभारी उपअभियंता से सत्यापित करना होगा एवं प्रभारी उपअभियंता से पृविष्टी एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करना होगा एवं पंजी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

4. कार्य की अवधि 1 वर्ष की होगी, आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी, जिसकी नियम शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।

5. हैण्ड पम्प खराब होने की शिकायत पर संधारण 24 घंटे के समय अवधि में करना अनिवार्य होगा। शिकायत पंजी, निदान 1100, ऑनलाईन या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। इस हेतु पंजी. का संधारण अनिवार्य होगा जिसमें विस्तृत विवरण हो। ऑनलाईन एवं निदान 1100 को प्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसी भी संधारण कार्य के विलंब में रु. 1000.00 प्रति कार्य/प्रति दिवस दंड स्वरुप अधिरोपित की जावेगी।

6. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा। शासन के समस्त करों का भुगतान एजेंसी को करना होगा।

7. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।

8. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा बढाई जा सकती है जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी एवं नियम शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।

9. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।

10. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. प्रत्येक संधारण कार्य का स्पष्ट फोटोग्राफ्स गूगल लोकेशन टाइम स्टैंप सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. जोन के अंतर्गत शिकायत संख्या 05 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त संधारण गैंग उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

14. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।

15. संधारण के दौरान एसेम्बली या अन्य सामग्री बोरवेल में गिर जाने पर अनुबंधित एजेंसी द्वारा उसे निकालकर संधारण करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

16. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्ताशय का प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

17. किसी भी प्रकार की त्रुटि का निरारण एवं संधारण कार्य में 07 दिवस से अधिक विलंब अथवा नियम शर्तो के उल्लघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

जोन आयुक्त **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**कार्यपालन अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**सहायक अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**उप अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**

Scanned with OKEN Scanner